

सं0 2-5 / 2005 - वितरण

भारत सरकार  
दिल्ली दुग्ध योजना  
पश्चिमी पटेल नगर  
नई दिल्ली - 110008

दिनांक 11.04.2014


## आदेश

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विभिन्न दुग्ध पदार्थों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए डी.एम.एस. दिनांक 14.04.2014 से घी, सफेद मक्खन व नमकीन मक्खन की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्र0सं0	पदार्थों का प्रकार	उपभोक्ता दर
1.	घी [एक लीटर पोलीपैक]	रु. 400/- प्रति लीटर
2.	सफेद मक्खन ( 500 ग्राम)	रु. 180/- ( 500 ग्राम)
3.	नमकीन मक्खन ( 500 ग्राम)	रु. 175/- ( 500 ग्राम)

रियायतग्राहियों / दुग्ध विक्रेताओं / वितरकों / संस्थाओं को दी जा रही डिस्काउन्ट दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उपरोक्त दरें सोमवार दिनांक 14.04.2014 से लागू होंगी ।  
इसे महाप्रबन्धक महोदय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

  
[अशोक बंसल]

उप महाप्रबन्धक [त0]/ इंचार्ज [वित.]

वितरण :-

- 1 समस्त सहा. दु. वित. अधि. / दु.वित.अधि.
- 2 समस्त रियायतग्राही
- 3 समस्त पूर्ण दिवसीय दुग्ध केन्द्र
- 4 डाकेट अनुभाग
- 5 असंगति अनुभाग
- 6 प्रबंधक (वितरण)
- 7 बुक एण्ड बजट अनुभाग
- 8 स्टोर पेमेन्ट अनुभाग
- 9 प्रोडक्ट अनुभाग
- 10 संयुक्त निदेशक (लागत) / वि.स.ए.मु.ले.अ.
- 11 प्रबंधक (के.डे.)
- 12 सभी संस्थाएं / अस्पताल एवं अन्य
- 13 लेखा अधि., दि.दु.यो. के वेबसाईट में डलवाने हेतु
- 14 निर्देशक डी.डी. कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ
- 15 नोटिस बोर्ड

प्रति :- महाप्रबन्धक जी के वैयक्तिक सहायक को महाप्रबन्धक महोदय जी की सूचनार्थ